रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072022-237231 CG-DL-E-11072022-237231

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 492] No. 492] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 9, 2022/आषाढ़ 18, 1944 NEW DELHI, SATURDAY, JULY 9, 2022/ASHADHA 18, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2022

सा.का.िन. 530(अ).—केन्द्रीय सरकार, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 43 ड की उपधारा (4) और उपधारा (5) के साथ पठित धारा 84 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद के सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, अर्हताएं, नियुक्ति तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय माध्यस्थम् परिषद् (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या, उनकी अर्हताऍं, नियुक्ति तथा अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं : (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) "अधिनियम" माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) अभिप्रेत है ;
- (ख) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ; और
- (ग) "चयन समिति" से अनुसूची के स्तंभ (12) के अधीन निर्दिष्ट चयन समिति अभिप्रेत है ;

4640 GI/2022 (1)

- (2) सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं क्रमश: वहीं अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में हैं।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5 अस्थाई आधार पर नियुक्ति (1) यदि परिषद उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्थता के कारण या किसी अन्य कारण से किसी पद को भरने के लिए समर्थ नहीं है तो परिषद किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास चयन समिति की राय में उस पद पर नियुक्ति के लिए विहित अर्हताएँ है, एक वर्ष की अविध के लिए संविदा पर नियुक्त कर सकेगा जिसे परिषद के अनुमोदन से तीन वर्ष की अधिकतम अविध तक बढ़ाया जा सकेगा।
- (2) ऐसे संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति का पारिश्रमिक परिषद के वित्तीय सलाहकार के परामर्श से उस पद के लिए विहित वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर के प्रतिनिदेश से नियत किया जाएगा ।
- **6 नियुक्ति प्राधिकारी –** अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत परिषद का कोई अन्य अधिकारी परिषद के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी होगा ;

परंतु यह कि जहाँ परिषद का कोई अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होने के लिए प्राधिकृत है वहाँ अध्यक्ष ऐसे अधिकारी का नियुक्ति प्राधिकारी होगा ;

परंतु यह और कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी नियुक्ति से पहले केन्द्रीय सरकार से परामर्श करेगा।

- 7. सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया (1) किसी पद पर सीधी भर्ती करने की प्रक्रिया जहाँ कहीं भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, निम्नानुसार होगी, अर्थात् :-
- (i) परिषद, अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन के माध्यम से पद के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा ;
- (ii) अध्यक्ष द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा आवेदनों की छानबीन की जाएगी ; और
- (iii) यदि चयन समिति समुचित समझे तो एक खुली प्रतियोगिता प्रक्रिया के आधार पर चयनित ऐसी परीक्षा आयोजित करने के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अभिकरण के माध्यम से आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा की सिफारिश कर सकेगी।
- (2) चयन समिति द्वारा भर्ती की जाएगी।
- 8. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की प्रक्रिया:— प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की प्रक्रिया जहां भी अनुसूची में निर्दिष्ट है, निम्न अनुसार होगी, अर्थात् :—
- (i) परिषद, अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन के माध्यम से पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा;
- (ii) अध्यक्ष द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा आवेदनों की छानबीन की जाएगी; और
- (iii) चयन के लिए, चयन समिति द्वारा साक्षात्कार संचालित किया जाएगा;

परन्तु यह कि प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदों पर आरंभिक नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।

- 9. प्रतिनियुक्ति की अवधि.— (1) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (2) प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्रीय सरकार के इस निमित्त समय समय पर जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से बढ़ाई जा सकेगी।

परन्तु प्रतिनियुक्ति की अवधि के विस्तारण के लिए प्रत्येक अनुरोध के केन्द्र के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा ।

- (3) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 10. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों का आमेलन.—(1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति, प्रतिनियुक्त की अविध को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात आमेलन के लिए विचार किए जाने का पात्र होगा।
- (2) आमेलन केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुपोदन से परिषद द्वारा किया जाएगा ।
- (3) आमेलन इस शर्त के अध्यधीन होगा कि प्रतिनियुक्त व्यक्ति आमेलन के लिए अपने विकलप का प्रयोग करता है और मूल विभाग या काडर नियंत्रक प्राधिकारी को ऐसे आवेदन के लिए आपत्ति नहीं होगी।
- 11. अनुशासनिक कार्यवाही.— परिषद के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार के तत्स्थायी वेतनमान के समूह क, समूह ख या समूह ग पदों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर लागू नियमों और विनियमों के अनुसार होगी।
- 12. वास-सुविधा.— परिषद के अधिकारी और कर्मचारी उसी दर पर मकान किराए भत्ते के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उसी स्थान पर तैनात तत्स्थानी वेतनमान में पदधारण करने वाले, यथास्थिति, समूह क, समूह ख और समूह ग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुज्ञेय है।
- 13. सेवा की शर्तें.— वेतन, भत्ते, छुट्टी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, पेंशन और सेवानिवृत्त फायदे, चिकित्सा सुविधाएं और सेवा की अन्य शर्तों के मामलों में परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी, जो केन्द्रीय सरकार में तत्स्थानी वेतन में, यथास्थिति, समूह क, समूह ख या समूह ग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर तत्समय लागू है।
- **14. निरर्हता.—** वह व्यक्ति –
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त किसी भी पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

- 15. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 15. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।
- **16. अवशिष्ट उपबंध.** ऐसे मामले, जिनके संबंध में इन नियमों के अधीन कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, परिषद द्वारा विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किए जाएंगे।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद-संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निदेशक ।	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता ।	स्तर – 13 ।	चयन ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पध्दति ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन या संविदा नियुक्तियों के संबंध में विचार करने के लिए चयन समिति	
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नित: ऐसे उप निदेशक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। प्रितिनुषुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी:- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर दस वर्ष नियमित सेवा की हो हो।	(i) परिषद के अध्यक्ष - अध्यक्ष (ii) सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती- सदस्य (iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी-सदस्य (iv) परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य- सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव/ प्रधान	04* (2022)	लागू नहीं होता ।	स्तर–12 ।	अचयन ।	लागू नहीं होता ।

कर्मचारिवृंद अधिकारी	*कार्यभार के आधार पर		
	परिवर्तन किया जा		
	सकता है ।		

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	(10) (i) पचास प्रतिशत पात्र अभ्यर्थियों की, योग्यता सह ज्येष्ठता, के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और
			(ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे प्रधान निजी सचिव जिन्होंने उस	(i) परिषद के अध्यक्ष -अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।
श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ।	(ii) सचिव, विधि कार्य विभाग या	
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा	उनका नामनिर्देशिती- सदस्य	
भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या	(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी-	
न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के	सदस्य	
ऐसे अधिकारी :-	(iv) परिषद के अध्यक्ष द्वारा	
(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए	नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य-	
हुए हैं; या	सदस्य	
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 में प्रधान		
निजी सचिव के रूप में नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष		
नियमित सेवा की हो ; या		
(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में निजी		
सचिव के रूप में नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष		
नियमित सेवा की हो ।		
वांछनीय : विधि में डिग्री ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. उप निदेशक ।	02* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता ।	स्तर – 11 ।	अचयन ।	लागू नहीं होता ।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे सहायक निदेशक जिन्होंने उस श्रेणी	(i) परिषद के अध्यक्ष -अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।

में छह वर्ष नियमित सेवा की हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी:-

- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो ; या
- (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर छह वर्ष नियमित सेवा की हैं।

- (ii) सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती- सदस्य
- (iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी-सदस्य
- (iv) परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य-सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. प्रधान निजी	04* (2022)	लागू नहीं	स्तर – 11 ।	अचयन ।	लागू नहीं
सचिव ।	*कार्यभार के आधार	होता ।			होता ।
	पर परिवर्तन किया				
	जा सकता है ।				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।		(i) पचास प्रतिशत पात्र
		होता ।	अभ्यर्थियों की, योग्यता सह
			ज्येष्ठता, के आधार पर प्रोन्नति
			द्वारा, जिसके न हो सकने पर
			प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत
			अल्पकालिक संविदा भी है) और
			(ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
			(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
			संविदा भी है) ।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे निजी सचिव जिन्होंने छह वर्ष	(i) परिषद के अध्यक्ष - अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।
नियमित सेवा की हो ।	(ii) सचिव, विधि कार्य विभाग या	
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा	उनका नामनिर्देशिती- सदस्य	
भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या	(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी-	
न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के	सदस्य	
ऐसे अधिकारी :-	(iv) परिषद के अध्यक्ष द्वारा	
(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए	नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य- सदस्य	
हुए हैं; या		
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में निजी		
सचिव के रूप में नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष		
नियमित सेवा की हो ; या		
(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में नियुक्ति के		
पश्चात् वैयक्तिक सहायक के रूप में नियुक्ति के		
पश्चात् सात वर्ष नियमित सेवा की हैं।		
वांछनीय : विधि में डिग्री ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. सहायक निदेशक ।	02* (2022)	लागू नहीं	स्तर – 10 ।	अचयन ।	लागू नहीं होता ।
	*कार्यभार के	होता ।			
	आधार पर				
	परिवर्तन किया जा				
	सकता है ।				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नित जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे कार्यापालक सहायक और सहायक	(i) परिषद के अध्यक्ष -अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।
अनुभाग अधिकारी जिन्होंने आठ वर्ष नियमित	(ii) सचिव, विधि कार्य विभाग या	
सेवा की हो ।	उनका नामनिर्देशिती- सदस्य	
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा	(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी-	
भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या	सदस्य	
न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के	(iv) परिषद के अध्यक्ष द्वारा	
ऐसे अधिकारी :-	नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य-	
(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए	सदस्य	
हुए हैं; या		
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में नियुक्ति के		
पश्चात् उस पद पर दो वर्ष नियमित सेवा की हो ;		
या		
(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में नियुक्ति के		
पश्चात् उस पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हैं।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. सहायक निदेशक	01* (2022)	लागू नहीं	स्तर –10 ।	लागू नहीं	लागू नहीं होता ।
(लेखा) ।	*कार्यभार के	होता ।		होता ।	
	आधार पर				
	परिवर्तन किया जा				
	सकता है ।				

(7)	(8	3)	(9)		(10)
	लागू नहीं	होता ।	लागू नहीं		सके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
लागू नहीं होता ।			होता ।	(जिसके अंत	र्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।
(11)			(12)		(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा		(i) परिष	इ के अध्यक्ष-	अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।
भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य स					
न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के		. ,	व, विधि कार्य		
ऐसे अधिकारी :-		उनका ना	मनिर्देशिती- सद	स्य	
(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद ध	ारण किए				
हुए हैं; या		(iii) मुख	व्य कार्यपालक	अधिकारी-	

- (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में सहायक लेखा अधिकारी या संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में सहायक
- (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में सहायक लेखा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखाकार या लेखाकार के रूप में नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।

वांछनीय: (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या लेखा कर्म में बैचलर डिग्री या समतुल्य।

(2) केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य सेवा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र या सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण।

(iv)	परिषद	के	अध्यक्ष	द्वार
नार्मा	नेर्दिष्ट विशे	षज्ञ	सदस्य-	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. निजी	02* (2022)	लागू नहीं	स्तर – 8 ।	अचयन ।	लागू नहीं होता ।
सचिव ।	*कार्यभार के	होता ।			
	आधार पर				
	परिवर्तन किया जा				
	सकता है ।				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	(ii) पचास प्रतिशत पात्र अभ्यर्थियों की, योग्यता सह ज्येष्ठता, के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है); और (ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

(11)(12)(13)(i) परिषद के अध्यक्ष प्रोन्नति : ऐसे वैयक्तिक सहायक जिन्होंने दो वर्ष लागु नहीं होता। नियमित सेवा की हो। अध्यक्ष प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा (ii) सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या नामनिर्देशिती न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के - सदस्य ऐसे अधिकारी :-(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी- सदस्य (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए (iv) परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में कोर्ट मास्टर - सदस्य या आश्लिपिक श्रेणी ग'के रूप में नियुक्ति के पश्चात् कम से कम दो वर्ष नियमित सेवा की हो।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.कार्यपालक सहायक/	01* (2022)	लागू नहीं	स्तर –7 ।	लागू नहीं	21-32 वर्ष ।
सहायक अनुभाग		होता ।		होता ।	(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए

	,	- C - Z	I	7-7: 7-7: 7 0
अधिकारी	(सूचना	*कार्यभार के		अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी
प्रौद्योगिकी) ।		आधार पर		सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस
		परिवर्तन किया		वर्ष तक की जा सकती है ।)
		जा सकता है ।		टिप्पण :
				आयु-सीमा अवधारित करने के लिए
				निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के
				लिए नियत की गयी अंतिम तारीख
				होगी ।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए	सीधी भर्ती ।
या संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान या		जाने वाले	टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी
कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर		व्यक्तियों के	या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक
इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या		लिए 2 वर्ष ।	वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण
कम्प्यूटर उपयोजन या कम्प्यूटर विज्ञान			हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या
में मास्टर डिग्री ; और			न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के
(ii) किसी ख्यातिप्राप्त संगठन में			ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक
कम्प्यूटर कार्यक्रमण या डाटा प्रसंस्करण			संविदा सहित) द्वारा भरी जा सकेंगी :-
में तीन वर्ष का अनुभव ।			(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण
			किए हुए हैं; या
			(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में नियुक्ति के
			पश्चात् पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और
			(ख) संकार्म और कार्यक्रमण संबंधी कम्प्यूटर
			नेटवर्क, सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य में दो वर्ष का
			अनुभव हो ।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	(i) परिषद के अध्यक्ष- अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।
	(ii) सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती- सदस्य	
	(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी- सदस्य	
	(iv) परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य- सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. कार्यपालक	05* (2022)	लागू नहीं	स्तर–7 ।	लागू नहीं	21-32 वर्ष ।
सहायक/ सहायक	*कार्यभार के	होता ।		होता ।	(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए
अनुभाग अधिकारी ।	आधार पर				अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी
	परिवर्तन किया				सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस
	जा सकता है ।				वर्ष तक की जा सकती है ।)
					टिप्पण :
					आयु-सीमा अवधारित करने के लिए
					निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के
					लिए नियत की गयी अंतिम तारीख
					होगी ।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री ;	लागू नहीं होता ।	किए जाने	सीधी भर्ती । टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी
(ii) किसी केंद्रीय सरकार संस्थान या		वाले व्यक्तियों	

राज्य सरकार संस्थान या मान्यता प्राप्त	के	लिए	या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक
विश्वद्यालय या बोर्ड से कम से कम 6	2 वर्ष ।		वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण
मास की अवधि का कंप्यूटर उपयोजन			हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या
में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र ; और			न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के
(iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार			ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक
के विभाग या स्वशासी निकाय में			संविदा सहित) द्वारा भरी जा सकेंगी :-
प्रशासन के क्षेत्र में दो वर्ष कार्य करने			(क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए
का अनुभव (नियमित या संविदा पर) ।			हुए हैं; या
			5
			(ख) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में नियुक्ति के
			पश्चात् पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो ; या
			(ग) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में नियुक्ति के
			पश्चात् उस पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की
			हो।
			<i>v.</i> .

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	(i) परिषद के अध्यक्ष- अध्यक्ष	लागू नहीं
	(ii) सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती-	होता ।
	सदस्य	
	(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी- सदस्य	
	(iv) परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य-	
	सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. कार्यपालक	01* (2022)	लागू नहीं	स्तर–7 ।	लागू नहीं	लागू नहीं होता ।
सहायक/ सहायक	*कार्यभार के	होता ।		होता ।	
अनुभाग अधिकारी	आधार पर				
(लेखा) ।	परिवर्तन किया				
	जा सकता है ।				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):	(i) परिषद के अध्यक्ष-	लागू नहीं होता ।
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों	अध्यक्ष	
या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी :-	(ii) सचिव, विधि कार्य	
आवश्यक:-	विभाग या उनका	
(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए	नामनिर्देशिती- सदस्य	
हैं; या	(iii) मुख्य कार्यपालक	
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में उस पद पर नियुक्ति के	अधिकारी- सदस्य	
पश्चात् पॉंच वर्ष नियमित सेवा की हो ; और	(iv) परिषद के अध्यक्ष	
(ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वद्यालय या संस्था	द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ	

से बैचलर डिग्री हो ।	सदस्य- सदस्य	
वांछनीय:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी0 कॉम डिग्री ;		
(ii) केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य में उत्तीर्ण होने का		
प्रमाण पत्र ; (iii) सिचवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान से रोकड़ और		
लेखा कार्य में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ; और		
(iv) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. निजी सचिव ।	05* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता ।	स्तर–8 ।	अचयन ।	लागू नहीं होता ।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	(i) पात्र अभ्यर्थियों की 'योग्यता सह ज्येष्ठता' के आधार पर पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा । (ii) पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा ।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 'घ' जिन्होंने दस वर्ष	(i) परिषद के अध्यक्ष- अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।
नियमित सेवा की हो ।	(ii) सचिव, विधि कार्य विभाग या	
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी	उनका नामनिर्देशिती- सदस्य	
है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या	(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी	
अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी :-	- सदस्य	
(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए	(iv) परिषद के अध्यक्ष द्वारा	
हुए हैं; या	नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य-	
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में आशुलिपिक	सदस्य	
श्रेणी 'घ' पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष नियमित सेवा		
की हो ;		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	03* (2022)	लागू नहीं	स्तर– 4।	लागू नहीं	21-32 वर्ष के बीच ।
आशुलिपिक श्रेणी	*कार्यभार के	होता ।		होता ।	(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या
'घ' ।	आधार पर				आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल
	परिवर्तन				करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है ।)
	किया जा				टिप्पण :
	सकता है ।				आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख
					आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम

			तारीख होगी ।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से	लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती	सीधी भर्ती ।
बैचलर डिग्री;		किए जाने	टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी
(ii) कौशल परीक्षा मानक:		वाले व्यक्तियों	बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य
श्रुतलेख: 10 मिनट @ 80 शब्द प्रति		के लिए दो	परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए
मिनट		वर्ष ।	बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार
प्रतिलेखन (कंप्यूटर पर): 50 मिनट			या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या
(अंग्रेजी); 65 मिनट (हिंदी) और			स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से
(iii) किसी केंद्रीय सरकार संस्थान या			प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा
राज्य सरकार संस्थान या किसी			भी है) द्वारा भरी जा सकेंगी :-
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से			(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण
कम से कम छह मास की अवधि का			किए हुए हैं; या
कंप्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा या			(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 में नियुक्ति के
प्रमाण पत्र ।			पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ; और
			(ख) किसी केन्द्रीय सरकार संस्थान या राज्य
			सरकार संस्थान अथवा मान्यताप्राप्त
			विश्वविद्यालय या बोर्ड से कम से कम छह मास की
			अवधि का कम्प्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा या
			प्रमाणपत्र ।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	(i) परिषद के अध्यक्ष- अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।
	(ii) सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती-	
	सदस्य	
	(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी - सदस्य	
	(iv) परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ	
	सदस्य- सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. स्टाफ कार	05* (2022)	लागू नहीं	स्तर–2 ।	लागू नहीं	18-27 वर्ष के बीच ।
चालक ।	*कार्यभार के	होता ।		होता ।	(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए
	आधार पर				अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी
	परिवर्तन किया				सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस
	जा सकता है ।				वर्ष तक की जा सकती है ।)
					टिप्पण :
					आयु-सीमा अवधारित करने के लिए
					निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के
					लिए नियत की गयी अंतिम तारीख
					होगी ।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) जिनके पास हल्की मोटर यान	(v) ्लागू नहीं	2 वर्ष ।	सीधी भर्ती ।
के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति	होता ।		
हो । (ii) मोटर यंत्रक्रिया का ज्ञान हो			
(अभ्यर्थी को यान में की छोटी मोटी			

खराबियों को ठीक करने के योग्य होना		
चाहिए) ।		
(iii) कम से कम तीन वर्ष का		
हल्की मोटर यान चलाने का अनुभव		
हो ।		
(iv) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या		
संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो ।		

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-60011/152/2019-प्रशासन.III(एलए)] सुनीता आनंद, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs) NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2022

- **G.S.R.** 530(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 84 read with sub-sections (4) and (5) of section 43M of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996), the Central Government hereby makes the following rules regulating the number of officers and employees, qualifications, appointment and other terms and conditions of services, of the Secretariat of the Council, namely:-
- 1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Arbitration Council of India (Number of officers and other Employees, their qualifications, appointment and other Terms and Conditions) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.** (1) In these rules unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Arbitration and Conciliation Act, 1996(26 of 1996);
 - (b) "Schedule" means Schedule annexed to these rules; and
 - (c) "Selection Committee" means the Selection Committee referred to under column (12) of the Schedule.
- (2) All other words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.
- 4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.
- 5. **Appointment on temporary basis.-** (1) In case the Council is not able to fill up any post due to non-availability of suitable candidates or any other reason, the Council may appoint any person, who in the opinion of the Selection Committee, is possessing the qualifications prescribed for appointment to the post on contract for a period of one year which may be extended up to a maximum period of three years with the approval of the Council.
- (2) The remuneration to such contractual appointee may be fixed in consultation with the Financial Advisor of the Council with reference to the pay level in the pay matrix prescribed for the post.
- 6- **Appointing authority. -** The Chairperson or any other officer of the Council authorised by the Council shall be the appointing authority of the officers and employees of the Council:

Provided that where an officer of the Council is authorised to be appointing officer, the Chairperson shall be the appointing officer of such officer;

Provided further that the appointing authority shall consult the Central Government before any appointment is made.

- 7. **Procedure for direct recruitment. -** (1) The procedure for making direct recruitment to a post, wherever specified in the Schedule, shall be as follows, namely:-
 - (i) the Council shall invite applications for the post through an advertisement on all India basis;
 - (ii) the applications shall be screened by a Screening Committee constituted by the Chairperson; and
 - (iii) the Selection Committee may, if it considers appropriate, recommend a preliminary examination to be conducted through an agency having experience in the field of conducting such examination selected on the basis of an open competitive process.
- (2) The recruitment shall be made by the Selection Committee.
- **8. Procedure for appointment on deputation. -** The procedure for appointment on deputation, wherever specified in the Schedule, shall be as follows, namely:-
 - (i) the Council shall invite applications for the posts through an advertisement on all India basis;
 - (ii) the applications shall be screened by a Screening Committee constituted by the Chairperson; and
 - (iii) interviews shall be conducted for selection by the Selection Committee:

Provided that the initial appointment to the posts on deputation basis may be made by the Central Government.

- **9. Period of deputation. -** (1) The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department shall ordinarily not exceed three years.
- (2) The period of deputation may be extended with the approval of the Central Government in accordance with the orders and instructions of the Central Government issued from time to time in this behalf:

Provided that every request for extension of the period of deputation shall be forwarded to the Central Government with prior approval of the Council.

- (3) The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.
- **10. Absorption of employees appointed on deputation. -** (1) Notwithstanding anything in these rules, the persons appointed on deputation shall, on successful completion of the deputation term, be eligible to be considered for absorption.
- (2) The absorption shall be made by the Council with the prior approval of the Central Government.
- (3) The absorption shall be subject to the condition that the deputationist exercises his option for absorption and the parent Department or the cadre controlling authority shall not have objection for such absorption.
- 11. **Disciplinary proceedings.** The disciplinary proceedings against the officers and other employees of the Council shall be as per rules and regulations applicable to officers and employees belonging to Group A, B or C posts, as the case may be, of the corresponding scales of pay of the Central Government.
- **12. Accommodation.** The officers and employees of the Council shall be entitled to a house rent allowance at the same rate, as are admissible to officers and employees belonging to Group A, B and C posts, as the case may be, of the Central Government holding the post in corresponding scale of pay, stationed at those places.
- 13. Conditions of service. The conditions of service of the officers and other employees of the Council in the matters of pay, allowances, leave, provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers and employees belonging to Group A, B or C posts, as the case may be, in corresponding scales of pay in the Central Government.
- **14. Disqualification.** No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **15. Power to relax.** -Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **16. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
- **17. Residuary provisions. -** Matters with respect to which no express provision has been made under these rules, shall be referred by the Council to the Central Government for its decision.

SCHEDULE

Name	Number	Classification.	Level	Whether	Age limit	Educational	Whether age	Period of
of	of post.		in the	selection	for	and other	and	probation,
Post.			pay	post	direct	qualification	educational	if any.
			matrix.	or non-	recruits.	required for	qualification	
				selection		direct	prescribed	
				post.		recruits.	for direct	
							recruits will	
							apply in	
							cases of	
							promotees.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	*1	Not	Level	Non-	Not	Not	Not	Not
Director.	(2022)	applicable.	− 13 .	selection.	applicable.	applicable.	applicable.	applicable.
	* Subject							
	to							
	variation							
	depending							
	upon							
	work							
	load.							

Method of recruitment.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption is to be made.	Selection Committee for considering cases of promotion or deputation or absorption or contract appointments.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Promotion failing which by Deputation (including short-term contract).	 Promotion Deputy Director with eight years regular service. Deputation (including short-term contract) Officers of the Central Government or State Government or Courts or Tribunals or Autonomous bodies, - (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with three years regular service in Level – 12 of the pay matrix rendered after appointment thereto; or (iii) with ten years regular service in Level – 11 of the pay matrix rendered after appointment thereto. 	(i) Chairperson of the Council-Chairperson. (ii) Secretary, Department of Legal Affairs or his nominee - Member. (iii) Chief Executive Officer - Member. (iv) Expert Member to be	Not applicable.

	the Chairperson of	
	the Council-	
	Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. Senior	4*	Not	Level	Non-	Not	Not	Not	Not
Principal	(2022)	applicable.	-12.	selection.	applicable.	applicable.	applicable.	applicable.
Private								
Secretary	* Subject							
/	to variation							
Principal	depending							
Staff	upon work							
Officer.	load.							

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) Fifty per	Promotion Principal Private Secretary with five years	(i) Chairperson of the	Not
cent. by	regular service.	Council –	applicable.
promotion		Chairperson.	
on the basis	Deputation (including short-term contract)	(ii) Secretary, Department	
of 'merit	Officers of the Central Government or State	of Legal Affairs or his	
cum	Government or Courts or Tribunals or Autonomous	nominee – Member.	
seniority' of	bodies, -	(iii) Chief Executive	
eligible	(i) holding analogous post on regular basis; or	Officer –Member.	
candidates,	(ii) with five year regular service as Principal Private	(iv) Expert Member to be	
failing which	Secretary in Pay Level- 11 of the pay matrix	nominated by the	
on	rendered after appointment thereto; or	Chairperson of the	
deputation	(iii) with at least eight year regular service as Private	Council – Member.	
(including	Secretary in Pay Level- 8 of the pay matrix		
short term	rendered after appointment thereto.		
contract);	Desirable. – Degree in Law.		
and			
(ii) fifty per			
cent. by			
deputation			
(including			
short term			
contract).			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	*2	Not	Level – 11.	Non-	Not	Not	Not	Not
Deputy	(2022)	applicable.		selection.	applicable.	applicable.	applicable.	applicable.
Director.								
	* Subject							
	to							
	variation							
	depending							
	upon							
	work							
	load.							

(10)	(11)		(12)	(13)
Promotion	Promotion. - Assistant Director with six years regular	(i)	Chairperson of	Not
failing which	service.		the Council-	applicable.
by Deputation			Chairperson.	
(including	Deputation (including short-term contract) Officers of	(ii)	Secretary,	
short-term	the Central Government or State Government or Courts or		Department of	
contract).	Tribunals or Autonomous bodies, -		Legal Affairs or	
	(i) holding analogous post on regular basis; or		his nominee -	

(ii) with five years regular service in Level – 10 of the pay	Member.
matrix rendered after appointment thereto; or	(iii) Chief Executive
(iii) with six years regular service in Level – 9 of the pay	Officer – Member.
matrix rendered after appointment thereto.	(iv) Expert Member to
	be nominated by
	the Chairperson
	of the Council-
	Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.	*4	Not	Level	Non-	Not	Not	Not	Not
Principal	(2022)	applicable.	- 11.	selection.	applicable.	applicable.	applicable.	applicable.
Private								
Secretary.	* Subject to variation depending upon work load.							

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) Fifty per	Promotion. - Private Secretary with six years regular	(i) Chairperson of the	Not
cent. by	service.	Council –	applicable.
promotion on		Chairperson.	
the basis of	Deputation (including short-term contract) Officers	(ii) Secretary,	
'merit cum	of the Central Government or State Government or	Department of Legal	
seniority' of	Courts or Tribunals or autonomous bodies, -	Affairs or his	
eligible	(i) holding analogous post on regular basis; or	nominee – Member.	
candidates	(ii) with six year regular service as Private Secretary	(iii) Chief Executive	
failing which	in Pay Level- 8_of the pay matrix rendered after	Officer –Member.	
on deputation	appointment thereto; or	(iv) Expert Member to be	
(including	(iii) with seven year regular service as Personal	nominated by the	
short term	Assistant in Pay Level- 7 of the pay matrix	Chairperson of the	
contract); and	rendered after appointment thereto.	Council – Member.	
(ii) fifty per	Desirable. – Degree in Law.		
cent. by			
deputation			
(including			
short term			
contract).			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. Assistant	*2	Not	Level	Non-	Not	Not	Not	Not
Director.	(2022)	applicable.	− 10 .	selection.	applicable.	applicable.	applicable.	applicable.
	* Subject to variation depending upon work load.							

(10)	(11)		(12)	(13)	
Promotion	Promotion Executive Assistant and Assistant Section	(i)	Chairperson of the	Not	
failing which	Officers with eight years regular service.		Council-	applicable.	
by	Chairperson.				
Deputation	Deputation (including short-term contract) Officers	(ii)	Secretary,		
(including	of the Central Government or State Government or Courts		Department of Legal		
short-term	or Tribunals or Autonomous bodies, -		Affairs or his		
contract).	(i) holding analogous post on regular basis; or		nominee – Member.		

((ii) with two years regular service in Level – 8 of the pay	(iii) Chief Executive
	matrix rendered after appointment thereto; or	Officer –Member.
(i	iii) with three years regular service in Level – 7 of the	(iv) Expert Member to
	pay matrix rendered after appointment thereto.	be nominated by the
		Chairperson of the
		Council- Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. Assistant	*1	Not	Level	Not	Not	Not	Not	Not
Director	(2022)	applicable.	− 10 .	applicable.	applicable.	applicable.	applicable.	applicable.
(Accounts).	* Subject to variation depending upon work load.							

(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation	Deputation (including short-term contract)	(i) Chairperson of the Council-	Not
(including	Officers of the Central Government or State	Chairperson.	applicable.
short-term	Government or Courts or Tribunals or	(ii) Secretary, Department of	
contract).	Autonomous bodies, -	Legal Affairs or his nominee	
	(i) holding analogous post on regular basis; or	Member.	
	(ii) with five years regular service as Assistant	(iii) Chief Executive Officer –	
	Accounts Officer or Auditor in the pay Level	Member.	
	– 8 of the pay matrix rendered after	(iv) Expert Member to be	
	appointment thereto; or	nominated by the	
	(iii) with eight years regular service as Junior	Chairperson of the Council-	
	Accounts Officer or Senior Accountant or	Member.	
	Accountant in pay Level - 7 of the pay matrix		
	rendered after appointment thereto.		
	D. 1.11. (1) D. 1.1 1		
	Desirable (1) Bachelors degree in commerce or		
	accountancy from a recognised University or		
	equivalent.		
	(2) Having a pass certificate in subordinate		
	accounts service or equivalent service conducted		
	by any organised accounts Department of the		
	Central Government or training in cash and accounts work from the Institute of Secretariat		
	Training and Management.		
	Training and Management.		ļ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. Private	*2	Not	Level	Non-	Not	Not	Not	Not
	(2022)	applicable.	- 8.	selection.	applicable.	applicable.	applicable.	applicable.
Secretary.								
	* Subject to							
	variation							
	depending upon							
	work load.							

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) Fifty per	Promotion. - Personal Assistants with two years	(i) Chairperson of the	Not
cent. by	regular service.	Council –	applicable.
promotion on		Chairperson.	
the basis of	Deputation (including short-term contract)	(ii) Secretary, Department	
'merit cum	Officers of the Central Government or State	of Legal Affairs or his	
seniority' of	Government or Courts or Tribunals or Autonomous	nominee – Member.	
eligible	bodies, -	(iii) Chief Executive	

candidates	(i) holding analogous post on regular basis; or	Officer –Member.	
failing which on deputation (including short term contract); and	(ii) with at least two years regular service as Court Master or Stenographer Grade 'C' in Pay Level-7 of the pay matrix rendered after appointment thereto.	(iv) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Council – Member.	
(ii) fifty per cent. by deputation (including short term contract).			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. Executive	*01	Not	Level	Not	Between 21	i) Bachelors	Not	2 years
Assistant	(2022)	applicable.	<i>−</i> 7.	applicable.	and 32 years.	degree in	applicable.	for
/					(Relaxable for	Computer		direct
Assistant	* Subject				Government	Science or		recruit.
Section	to				Servants up to	Computer		
Officer	variation				40 years in	Technology		
(Information	depending				accordance	or Computer		
Technolo	upon				with	Engineering		
gy)	work				instructions or	or		
	load.				orders issued	Masters'		
					by the Central	Degree in		
					Government.	Computer		
						Application		
					Note:- The	or Computer		
					crucial date	Science from		
					for	any		
					determining	recognised		
					the age limit	University or		
					shall be the	Institution;		
					closing date	and		
					for receipt of	(ii) three		
					application.	years		
						experience in		
						computer		
						programming		
						or Data		
						processing or		
						Networking .		
						in any		
						reputed		
						organisation.		

(10)	(11)		(12)	(13)
Direct recruitment.	Not	(i)	Chairperson of the	Not
	applicable.		Council -	applicable.
Note:- Vacancies caused by the incumbent being away on			Chairperson.	
deputation or long illness or study leave or under other		(ii)	Secretary,	
circumstances for a duration of one year or more may be filled			Department of	
on deputation (including short term contract) basis from			Legal Affairs or his	
officers of Central Government or State Government or			nominee –	
Courts or Tribunals or autonomous bodies, -			Member.	
(a) (i) holding analogous post on regular basis; or		(iii)	Chief Executive	
(ii) with five years regular service in Level – 6 of the			Officer –Member.	
pay matrix rendered after appointment thereto; and		(iv)	Expert Member to	
			be nominated by	
			the Chairperson of	
			the Council -	

(b) having two years' experience in handling computer	Member.	
networks, information technology related works and		ļ
programming.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9.	*5	Not	Level	Not	Between 21	(i) Bachelor's	Not	2 years
Executive	(2022)	applicable.	<i>−</i> 7.	applicable.	and 32 years	degree from a	applicable.	for
Assistant/					(Relaxable	recognised		Direct
Assistant	* Subject				for	University;		Recruit.
Section	to				Government	(ii) Diploma or		
Officer.	variation				Servants upto	Certificate in		
	depending				40 years in	Computer		
	upon				accordance	applications of		
	work				with	at least 6		
	load.				instructions	months		
					or orders	duration from		
					issued by the	any Central		
					Central	Government		
					Government.	Institute or		
						State		
					Note:- the	Government.		
					crucial date	Institute or		
					for	recognised		
					determining	University or		
					the age limit	Board; and		
					shall be the	(iii) two years		
					closing date	working		
					for receipt of	experience		
					application.	(regular or		
						contractual) in		
						the field of		
						administration		
						in any Central		
						Government or		
						State		
						Government.		
						Department or		
						autonomous		
						body.		

(10)	(11)	(12)	(13)
Direct recruitment.	Not	(i) Chairperson of	Not
	applicable.	the Council -	applicable.
Note:- Vacancies caused by the incumbent being away on		Chairperson.	
deputation or long illness or study leave or under other		(ii) Secretary,	
circumstances for a duration of one year or more may be filled on		Department of	
deputation (including short term contract) basis from officers of		Legal Affairs or	
Central Government or State Government or Courts or Tribunals		his nominee -	
or Autonomous bodies, -		Member.	
(a) holding analogous post on regular basis; or		(iii) Chief	
(b) with five years regular service in Level – 6 of the pay matrix		Executive	
rendered after appointment thereto; or		Officer –	
(c) with eight years regular service in Level – 5 of the pay		Member.	
matrix rendered after appointment thereto.		(iv) Expert Member	
		to be nominated	
		by the	
		Chairperson of	
		the Council -	
		Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.	1*	Not	Level	Not	Not	Not	Not	Not
Executive	(2022)	applicable.	<i>−</i> 7.	applicable.	applicable.	applicable.	applicable.	applicable.
Assistant/								
Assistant	* Subject to							
Section	variation							
Officer	depending							
(Accounts).	upon work							
	load.							

(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation	Deputation (including short term contract)	(i) Chairperson of the Council –	Not
(including	Officers of the Central Government or State	Chairperson.	applicable.
short term	Government or Courts or Tribunals or	(ii) Secretary, Department of	
contract).	Autonomous bodies,-	Legal Affairs or his nominee –	
	Essential :-	Member.	
	(a) (i) holding analogous post on regular basis; or	(iii) Chief Executive Officer -	
	(ii) with five years regular service in the post in	Member.	
	Level – 6 of the pay matrix rendered after	(iv) Expert Member to be	
	appointment thereto; and	nominated by the Chairperson	
	(b) possessing a Bachelor's degree from a	of the Council – Member.	
	recognised University or Institution.		
	Desirable		
	(i) B.Com degree from a recognised University;		
	(ii) having a pass certificate in subordinate		
	accounts service or equivalent examination		
	conducted by any organised accounts		
	Department of the Central Government;		
	(iii) having successfully completed training in		
	cash and accounts work from the Institute of		
	Secretariat Training and Management; and		
	(iv) working knowledge of computers.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.	*5	Not	Level	Non-	Not	Not	Not	Not
Personal	(2022)	applicable.	<i>−</i> 7.	selection.	applicable.	applicable.	applicable.	applicable.
Assistant.								
	* Subject to							
	variation							
	depending upon							
	work load.							

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) Fifty percent	Promotion. –Stenographer Gr.'D' with	(i) Chairperson of the Council -	Not
by promotion on	ten years regular service.	Chairperson.	applicable.
the basis of 'merit		(ii) Secretary, Department of Legal	
cum seniority' of	Deputation (including short-term	Affairs or his nominee -	
eligible candidates	contract) Officers of the Central	Member.	
failing which on	Government or State Government or	(iii) Chief Executive Officer -	
deputation	Courts or Tribunals or Autonomous	Member.	
(including short	bodies, -	(iv) Expert Member to be nominated	
term contract);	(i) holding analogous post on regular	by the Chairperson of the	
and	basis; or	Council – Member.	
	(ii) with ten year regular service as		
(ii) fifty percent	Stenographer Grade 'D' in the Level		
by deputation	 4_of the pay matrix rendered after 		
(including short	appointment thereto.		
term contract).			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12.	*3	Not	Level	Not	Between 21	(i)	Not	two
	*3 (2022) * Subject to variation depending upon work load.				Between 21 and 32 years (Relaxable for Government Servant up to 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of	(i) Bachelor's degree from a recognised University. (ii) Skill test Norms: Dictation: 10min. @ 80 w.p.m Transcription (on computer): 50 min (Eng.); 65 min (Hindi); and (iii)Diploma		` ′
					application.	or Certificate in computer applications of at least six months duration from any Central Government Institute or State Government Institute or recognised University or Board.		

(10)	(11)	(12)	(13)
Direct recruitment.	Not	(i) Chairperson of	Not
	applicable.	the Council -	applicable.
Note:- Vacancies caused by the incumbent being away on		Chairperson.	
deputation or long illness or study leave or under other		(ii) Secretary,	
circumstances for a duration of one year or more may be filled on		Department of	
deputation (including short term contract) basis from the Officers		Legal Affairs or	
of the Central Government or State Government or Courts or		his nominee -	
Tribunals or Autonomous bodies,-		Member.	
(a) (i) holding analogous post on regular basis; or		(iii) Chief Executive	
(ii) with five year regular service in Level – 3 of the pay		Officer –	
matrix rendered after appointment thereto; and		Member.	
		(iv) Expert Member	
		to be nominated	
		by the	
(b) having a Diploma or Certificate in computer applications of		Chairperson of	
at least six months duration from any Central Government		the Council -	
Institute or State Government Institute or recognized		Member.	
University or Board.			
·			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13.	*5	Not	Level	Not	Between 18	(i) Possession of a	Not	2 years.
Staff	(2022)	applicable.	– 2.	applicable.	and 27 years	valid driving	applicable.	
Car					(Relaxable	license for light		
Driver.	* Subject				for	motor vehicles;		
	to				Government	(ii) knowledge of		
	variation				Servant up to	motor mechanism		
	depending				40 years in	(The candidate		
	upon				accordance	should be able to		
	work				with	remove minor		
	load.				instructions	defects in		
					or orders	vehicle);		
					issued by the	(iii) experience of		
					Central	driving light		
					Government.	motor vehicle for		
						at least three		
					Note: the	years; and		
					crucial date	(iv) pass in 10th		
					for	Standard from a		
					determining	recognised Board		
					the age limit	or Institute.		
					shall be the			
					closing date			
					for receipt of			
1	ĺ		1		applications.			

(10)	(11)	(12)	(13)
Direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

[F. No. 60011/152/2019-Admn.III (LA)/NDIAC] SUNITA ANAND, Jt. Secy. and Legal Adviser